भारत सरकार
शिक्षा मंत्रालय
स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-167
उत्तर देने की तारीख-04/12/2023

पीएम-श्री योजना के अंतर्गत स्कूलों का चयन/आबंटित धनराशि/शिक्षा की गुणवत्ता

†167. श्रीमती पूनमबेन माडम:

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार के पास पीएम-श्री योजना (प्रधान मंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया) के अंतर्गत स्कूलों की चयन प्रक्रिया में पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए कोई तंत्र है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) पीएम-श्री योजना के लिए राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विशेषकर गुजरात में आबंटित निधियों का ब्यौरा क्या है;
(घ) क्या सरकार ने पीएम-श्री स्कूलों में शिक्षा की अच्छी गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए कोई कदम उठाए हैं; और
(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्रीमती अन्नपूर्णा देवी)

(क) और (ख): पीएम-श्री स्कूलों का चयन चुनौती पद्धति के माध्यम से होता है, जिसमें स्कूल उदाहरणपरक स्कूल बनने के लिए समर्थन के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं। चयन निश्चित समय सीमा के साथ तीन चरणों की प्रक्रिया के माध्यम से किया जाता है, जो इस प्रकार है:-

चरण-1: पीएम-श्री स्कूलों के रूप में निर्दिष्ट गुणवत्ता आश्वासन प्राप्त करने के लिए इन स्कूलों का समर्थन करने हेतु प्रतिबद्धताओं को निर्धारित करने के लिए राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र केंद्र के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करेंगे।
चरण-2: इस चरण में, पीएम-श्री स्कूलों के रूप में चुने जाने हेतु पात्र स्कूलों के एक पूल की पहचान यूडाइज़+ डेटा के माध्यम से निर्धारित न्यूनतम बेंचमार्क के आधार पर की जाएगी।
चरण-3: यह चरण कतिपय मानदंडों को पूरा करने के लिए पारदर्शी चुनौती पद्धति पर आधारित है। केवल उपरोक्त पात्र स्कूलों के पूल में शामिल स्कूल ही ऑनलाइन चुनौती पोर्टल (https://pmshrischools.education.gov.in/) पर स्व-आवेदन करके चुनौती की शर्तों को पूरा करने के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं।

चरण-4: राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को शिक्षा मंत्रालय को स्कूलों की सूची की सिफारिश करना अपेक्षित है और चुनौती पद्धति के माध्यम से स्कूल का अंतिम चयन करने के लिए शिक्षा मंत्रालय में सचिव (एसई एंड एल) की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया है।

(ग): परियोजना अनुमोदन बोर्ड (पीएबी) की बैठक में केवीएस/एनवीएस के साथ 27 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के 6207 पीएम-श्री स्कूलों के लिए कुल 3395.16 करोड़ रुपये अनुमोदित किए गए हैं, जिसमें वित्त वर्ष 2023-24 के लिए केंद्रीय भाग के रूप में 2520.46 करोड़ और राज्य भाग के रूप में 874.70 करोड़ रुपये शामिल हैं। परियोजना अनुमोदन बोर्ड (पीएबी) की बैठक में गुजरात राज्य के लिए कुल 10979.03 लाख अनुमोदित किए गए हैं, जिसमें वित्त वर्ष 2023-24 हेतु 6587.42 लाख का केंद्रीय भाग (60%) और 4391.61 लाख का राज्य भाग (40%) शामिल है। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार सूची अनुलग्नक-1 में दी गई है।

(घ) और (ड.): पी-एमश्री स्कूलों को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का कार्यान्वयन दर्शाना है और समय के साथ उदाहरणपरक स्कूलों के रूप में उभरना, और पड़ोस के अन्य स्कूलों को भी नेतृत्व प्रदान करना है। एनईपी 2020 के विजन के अनुसार, वे एक समान, समावेशी और आनंदमय स्कूल वातावरण में उच्च गुणवत्ता युक्त शिक्षा प्रदान करने में अपने संबंधित क्षेत्रों में नेतृत्व प्रदान करते हैं जो बच्चों की विविध पृष्ठभूमि, बहुभाषी आवश्यकताओं और विभिन्न शैक्षणिक क्षमताओं का ध्यान रखता है और उन्हें अपनी स्वयं की अधिगम प्रक्रिया में सक्रिय भागीदार बनाता है। इसके अतिरिक्त समय के साथ पीएम-श्री स्कूलों के स्तर को बनाए रखना महत्वपूर्ण है। इसलिए, स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता के विभिन्न आयामों की समझ को बढ़ावा देने और इसके विकास हेतु अपनी क्षमता और क्षेत्रों की पहचान करने में स्कूलों की मदद करने के लिए एक स्कूल गुणवत्ता आकलन रूपरेखा (एसक्यूएएफ़) तैयार की गयी है। यह विद्यालयों को उनकी कक्षाओं और अन्य अधिगम प्रणालियों में शिक्षार्थियों की जरूरतों के प्रति आत्म-मूल्यांकन, चिंतनशील अभ्यास और प्रतिक्रियाशीलता को शामिल करने में भी सहायक है।

******

अनुलग्नक-1

माननीय संसद सदस्य श्रीमती पूनमबेन माडम द्वारा 'पीएम-श्री योजना के अंतर्गत स्कूलों का चयन/आबंटित धनराशि/शिक्षा की गुणवत्ता' के संबंध में दिनांक 04.12.2023 को पूछे जाने वाले लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 167 के भाग (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

वित्त वर्ष 2023-24 हेतु पीएम-श्री योजना के तहत अनुमोदित राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों/केवीएस/एनवीएस-वार निधियों का विवरण:

(लाख रुपये में)

क्र.सं.	राज्य का नाम	वित्त वर्ष 2023-24 के लिए पीएम श्री योजना के तहत अनुमोदित निधियां		
		केंद्रीय भाग	राज्य भाग	कुल
1	अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	625.3	0	625.3
2	आंध्र प्रदेश	21291.48	14194.32	35485.8
3	अरुणाचल प्रदेश	1685.75	187.31	1873.06
4	असम	11471.94	1274.66	12746.6
5	चंडीगढ़	72.95	0	72.95
6	छत्तीसगढ़	3947.81	2631.87	6579.68
7	डीएनडी - डीएनएच	259.81	0	259.81
8	गोवा	371.36	247.58	618.94
9	गुजरात	6587.42	4391.61	10979.03
10	हरियाणा	5116.06	3410.7	8526.76
11	जम्मू और कश्मीर	10479.38	1164.38	11643.76
12	कर्नाटक	3017.7	2011.8	5029.5
13	केवीएस	59071.19	0	59071.19
14	लद्दाख	808.54	0	808.54
15	लक्षद्वीप	436.15	0	436.15
16	मध्य प्रदेश	13199.62	8799.75	21999.37
17	महाराष्ट्र	12681.11	8454.07	21135.18
18	मणिपुर	3527.21	391.91	3919.12
19	मेघालय	859.62	95.51	955.13
20	मिजोरम	820.36	91.15	911.51
21	नागालैंड	390.75	43.42	434.17
22	एनवीएस	26073.03	0	26073.03
23	पुदुचेरी	235.06	156.71	391.77
24	राजस्थान	9836.97	6557.98	16394.95
25	सिक्किम	2035.51	226.17	2261.68
26	तेलंगाना	23921.6	15947.73	39869.33
27	त्रिपुरा	2361.39	262.38	2623.77
28	उत्तर प्रदेश	24299.06	16199.37	40498.43
29	उत्तराखंड	6562.28	729.14	7291.42
कुल योग		252046.41	87469.52	339515.93

नोट- 6 राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों (बिहार, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, केरल, ओडिशा, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल) भारत सरकार से लगातार अनुवर्ती कार्रवाई के बावजूद इस योजना का लाभ उठाने के लिए अभी तक शामिल नहीं हुए हैं।

****